कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद–211002

संख्या– 43211 / दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018–19 दिनाँक मार्च 01, 2018

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 38628/ दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018–19 दिनाँक 03–02–2018 के प्रस्तर (14) में दी गयी प्रदेश की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर व मॉडल शाप्स के वर्ष 2018–19 में व्यवस्थापन हेतु समय–सारणी में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है–

क्र0	प्रथम चरण	तिथि
1.	फीस भुगतान करने हेतु अंतिम तिथि(यह सुविधा उन्हीं आवेदकों के लिए है, जिनके द्वारा आवेदन पत्र दिनाँक 28.02.2018 को सायं 7:00 बजे की पूर्व निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन भर दिये गये थे)। नोटः–ऐसे आवेदक जिन्हें किन्हीं तकनीकी कारणों से अपने किये गये भुगतान का कन्फर्मेशन उनके लॉगिन से नहीं दिख रहा होगा उनको पेमेन्ट का यूनिक–ट्रान्जेक्शन नम्बर(UTR Number) अपने लॉगिन में भरने की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी।	03.03.2018 को सायं 17:00 बजे तक
2.	आवेदनों का परीक्षण	04–03–2018 से 07–03–2018 तक
3.	ई–लॉटरी की तिथि / समय (जनपद इलाहाबाद एवं गोरखपुर को छोड़कर)	08–03–2018 को 11:00 बजे से
4.	जनपद इलाहाबाद व गोरखपुर में ई–लॉटरी की तिथि / समय	17–03–2018 को 11:00 बजे से
	द्वितीय चरण (जनपद इलाहाबाद व गोरखपुर को छोड़कर प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में)	
1.	उपरोक्तानुसार ई–लॉटरी के पश्चात् अवशेष देशी / विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा / निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन ई–लॉटरी प्रकिया से आवेदन पत्र की मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगने एवं ई–लॉटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनाँक 09.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनाँक 13.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक और ई–लॉटरी दिनांक 17.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे होने का उल्लेख करते हुये विज्ञप्ति का समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा विभागीय व जनपद की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन।	09.03.2018
2.	द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनाँक 13.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक
3.	आवेदनों का परीक्षण	14.03.2018 से 16.03.2018 तक
4.	ई–लॉटरी की तिथि / समय	17.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से

तदनुसार इस कार्यालय की विज्ञप्ति उपरिवर्णित विज्ञप्ति दिनांक 03.02.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। अधिक जानकारी के लिए जनपद के जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद–211002

संख्या 43213-287 / दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018–19
दिनांकःइलाहाबादःमार्च 01,2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृपया आबकारी नीति विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 38339–413/ दस–लाइसेंस–367 / आबकारी नीति / 2018–19 दिनांकःइलाहाबादःफरवरी 03,2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के प्रस्तर 17 में दी गई प्रदेश की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर व मॉडल शाप्स के वर्ष 2018–19 में व्यवस्थापन हेतु समय–सारणी में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है–

क्र0	प्रथम चरण	तिथि
1.	फीस भुगतान करने हेतु अंतिम तिथि(यह सुविधा उन्हीं आवेदकों के लिए है, जिनके द्वारा आवेदन पत्र दिनाँक 28.02.2018 को सायं 7:00 बजे की पूर्व निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन भर दिये गये थे)। नोटः–ऐसे आवेदक जिन्हें किन्हीं तकनीकी कारणों से अपने किये गये भुगतान का कन्फर्मेशन उनके लॉगिन से नहीं दिख रहा होगा उनको पेमेन्ट का यूनिक–ट्रान्जेक्शन नम्बर(UTR Number) अपने लॉगिन में भरने की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी।	03.03.2018 को सायं 17:00 बजे तक
2.	आवेदनों का परीक्षण	04–03–2018 से 07–03–2018 तक
3.	ई–लॉटरी की तिथि / समय (जनपद इलाहाबाद एवं गोरखपुर को छोड़कर)	08–03–2018 को 11:00 बजे से
4.	जनपद इलाहाबाद व गोरखपुर में ई–लॉटरी की तिथि / समय	17–03–2018 को 11:00 बजे से
	द्वितीय चरण **(जनपद इलाहाबाद व गोरखपुर को छोड़कर प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में)**	
1.	उपरोक्तानुसार ई–लॉटरी के पश्चात् अवशेष देशी / विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा / निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन ई–लॉटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र की मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगने एवं ई–लॉटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनाँक 09.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनाँक 13.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक और ई–लॉटरी दिनांक 17.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे होने का उल्लेख करते हुये विज्ञप्ति का समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा विभागीय व जनपद की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन।	09.03.2018
2.	द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनाँक 13.03.2018 को अपरान्ह 19:00

		बजे तक
3.	आवेदनों का परीक्षण	14.03.2018 से 16.03.2018 तक
4.	ई–लॉटरी की तिथि/समय	17.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से

लॉटरी प्रकिया में कोई व्यवधान आने अथवा कोई मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु दूरभाष संख्या 0522–2238741 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि स्थानीय स्तर पर भी संशोधित समय सारणी की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें एवं अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें जिससे कि प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सके।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

संख्या /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि संशोधित समय–सारणी का प्रदर्शन जनपद की वेबसाइट पर कराना एवं आबकारी दुकानों का शत–प्रतिशत व्यवस्थापन सुनिश्चित करें।
6. समस्त आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सदस्य, जिला स्तरीय समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार संशोधित समय सारणी का प्रदर्शन विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश